न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या: 122/2015 G.C.M.S. No. 2015/00521 दर्ज दिनांक: 23.12.2015

अपीलार्थिगण:

1. मांगीलाल पुत्र धीरा, जाति माली गहलोत, निवासी बेरा बम्बोलिया, सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1- तहसीलदार सोजत

2- मृतक तुलछा पुत्र लच्छा के विधिक वारिसानः–

2/1 पोकर पुत्र तुलछा जाति गवारिया हाल हरिपुर स्टेशन तहसील रायपुर।

2/2 शांति पुत्री तुलछा पत्नि ढगलाराम जाति गवारिया हाल मुडिया तहसील मारवाड़ जंक्शन, पाली।

2/3 कंचन पुत्र तुलछा पत्नि जैराम जाति गवारिया हाल रायपुर (कपूरड़ी)

2/4 राधा पुत्री तुलछा पत्नि ईश्वरचंद जाति गवारिया हाल आउवा तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

2/5 मृतक शंकर पुत्र तुलछा के वारिसान :–

2/5/1 गवरी पत्नि शंकर

2/5/2 शारदा पुत्री शंकर पत्नि बाबू

2/5/3 भगवान पुत्र शंकर

2/5/4 कैलाश पुत्र शंकर

2/5/5 पारस पुत्र शंकर जाति गवारिया हाल अहमदाबाद (गुजरात)

2/5/6 टीमूडी पुत्री शंकर पत्नि भाणाराम जाति गवारिया हाल आउवा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।

2/6 मृतक गीदा पुत्र तुलछा के विधिक वारिसानः–

2/6/1 श्रवण पुत्र गीदाराम जाति गवारिया निवासी बिजोलिया जिला भीलवाड़ा

2/6/2 रामचन्द्र पुत्र गीदाराम जाति गवारिया हाल रायपुर (कपूरड़ी) जिला पाली।

2/6/3 मदन पुत्र गीदाराम जाति गवारिया हाल अहमदाबाद कालूपुर की वाली चाली अचारना रास्ता

3- मृतक भूरा पुत्र गोमा के विधिक वारिसानः–

3/1 आयचुकी पुत्री भूरा पत्नि तारूराम जाति गवारिया हाल कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।

3/2 बदामी पुत्री भुरा पत्नि रावतराम जाति गवारिया हाल आलावास तहसील सोजत जिला पाली।

4- मृतक माला पुत्र वाला के विधिक वारिसान–

4/1 केसी पत्नि माला

4/2 हजारीराम पुत्र माला

4/3 श्रवणराम पुत्र माला

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

4/4 श्यामलाल पुत्र माला
4/5 पारसराम पुत्र माला
4/6 रमेश पुत्र माला जाति गवारिया हाल वाटस वर्क्स रोड़ सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली।
4/7 सुखीया पुत्री माला पत्नि पत्नि मांगुराम जाति गवारिया हाल मानजी की चक्की के पास, सोजत रोड़, तहसील सोजत जिला पाली।
4/8 गजराई पुत्री माला पत्नि उम्मेद जाति गवारिया हाल मेलाप तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।
4/9 मृतक पाबूराम पुत्र माला के विधिक वारिसान–
4/9/1 अणची पत्नि पाबूराम
4/9/2 मदन पुत्र पाबूराम
4/9/3 रणछोड़ उर्फ राजू पुत्र पाबूराम जाति गवारिया हाल पानी की टंकी के पास, बंजारा कॉलोनी, जैतारण, जिला ब्यावर।

5- मृतक उमा पुत्र जीता के विधिक वारिसान–
5/1 आईदान पुत्र उमा जाति गवारिया हाल ग्राम गिरी तहसील रायपुर जिला पाली।
5/2 मृतक मनासिंह पुत्र उमा के विधिक वारिसान–
5/2/1 फेकी पत्नि मनासिंह
5/2/2 बाबुलाल पुत्र मनासिंह
5/2/3 चुन्नीलाल पुत्र मनासिंह
5/2/4 घेवरराम पुत्र मनासिंह
5/2/5 श्रवणराम पुत्र मनासिंह
5/2/6 पारस पुत्र मनासिंह जाति गवारिया निवासी खोखरा
5/2/7 केलकी पुत्री मनासिंह पत्नि छगन जाति गवारिया हाल कांग्रेस भवन के पास, पाली जिला पाली।
5/2/8 हंजा पुत्री मनासिंह पत्नि हीरा जाति गवारिया निवासी हेमावास तहसील पाली हाल किसना नगर सोसायटी अहमदाबाद
5/3 मृतक सालूराम पुत्र उमा के विधिक वारिसान–
5/3/1 जमका पत्नि सालूराम
5/3/2 बंशीलाल पुत्र सालूराम
5/3/3 भंवरलाल पुत्र सालूराम
5/3/4 शंकर पुत्र सालूराम जातियान गवारिया हाल आसींद जिला भीलवाड़ा।
5/3/5 लाडू पुत्र सालूराम पत्नि नारू जाति गवारिया हाल राणावास स्टेशन मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।
5/4 मृतक तारू पुत्र उमा के विधिक वारिसानः–
5/4/1 गवरी पत्नि तारू
5/4/2 पांचाराम पुत्र तारू
5/4/3 सोहन पुत्र तारू
5/4/4 राजू उर्फ किशोर पुत्र तारू जाति गवारिया निवासी पानी की टंकी के पास जैतारण
5/4/5 सुआ पुत्री तारू पत्नि अरविंद जाति गवारिया निवासी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

मारवाड़ जंक्शन जिला पाली।

5/5 मृतक जारी पुत्र उमा के विधिक वारिसानः–

5/5/1 शांता पत्नि हजारी

5/5/2 किशन पुत्र हजारी

5/5/3 कैलाश पुत्र हजारी

5/5/4 गणपत पुत्र हजारी जाति गवारिया निवासी गंगा पेट्रोल पंप के पीछे, सोजत सिटी तहसील सोजत, जिला पाली।

5/5/5 लीला पुत्री हजारी पत्नि हड़मान जाति गवारिया निवासी बारवी पाल रोड़, जोधपुर।

5/5/6 कंचन पुत्री हजारी पत्नि हड़मान जाति गवारिया निवासी बारवी पाल रोड़, जोधपुर।

5/5/7 प्रेम पुत्री हजारी पत्नि किरण कुमार जाति गवारिया निवासी पुराड़ा रोड़, सुमेरपुर।

5/5/8 टीमू पुत्र हजारी पत्नि उम्मेद जाति गवारिया निवासी गोदामी मगरी नाड़ोल, देसूरी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 147/2008 बअनवान मांगीलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2015 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकारः–

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित, श्री चन्द्रगुप्त चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री राजूराम हरियाल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 3/2
3. शेष रेस्पोंडेंट्स अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांकः 17.07.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 147/2008 बअनवान मांगीलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में घोषणा व खातेदारी का दावा प्रस्तुत कर जाहिर किया कि सरहद मौजा खोखरा तहसील सोजत में खसरा नम्बर 581/1 रकबा 30 बीघा भूमि आयी हुई हैं। जिसके नये खसरा नम्बर 281 रकबा 0.72, खसरा नम्बर 282 रकबा 3.43, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.40 हैक्टेयर बने, उस भूमि में से 10 बीघा भूमि अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 29.10.1976 को जरिये बेचान खरीद की गई। उस बेचाण के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट काबिज है व अपीलाण्ट ही इसका उपयोग एवं उपभोग कर रहा है। जिसके खातेदारी अधिकार अपीलाण्ट के नाम किये जाने का दावा प्रस्तुत किया, जिसका जवाब रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा दिया गया व अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

रेस्पोंडेण्ट को दिनांक 29.03.14 को पक्षकार बनाया गया, जिसकी तलबी में मुकदमा चल रहा था। परन्तु राजस्व केम्प में सभी पक्षकारों की तामिल हुए बगैर ही न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलाण्ट के हस्ताक्षर करवाकर मुकदमा फैसल कर दिया व दावा खारिज कर डिक्री कर दिया। तत्पश्चात दावा दिनांक 19.03.2014 से अन्य रेस्पोंडेण्ट की तलबी में मुकदमा चल रहा था व सभी रेस्पोंडेण्ट की तलबी नहीं हुई थीं, जब तक सबकी तलबी नहीं हो जाये, मुकदमे में आगामी कार्यवाही नहीं हो सकती हैं, क्योंकि स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.03.2014 को सभी रेस्पोंडेण्ट को पक्षकार बनाने का आदेश दिया व उनकी तलबी में मुकदमा नियत किया व उस संबंध में लगातार ऑर्डर शीट में मुकदमा तलबी में नियत रहा व मुकदमा केम्प कोर्ट में रखे जाने का कोई आदेश नहीं था, परन्तु लोक अदालत के केम्प खोखरा में मुकदमा रखा गया, जिसमें सभी रेस्पोंडेण्ट हाजिर नहीं थें, न ही उनकी तलबी हुई थीं, न ही सूचना थी, ऐसी स्थिति में सिर्फ अपीलाण्ट को बुलाकर व उसके हस्ताक्षर करवाकर व उसको वापस भेजकर बाद में दावा खारिज कर डिक्री पर्चा जारी करने का आदेश दिया है, जो विधिसम्मत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय ने दावे का जो फैसला किया है जिसमें जाहिर किया है कि भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की थीं, इस संबंध में कोई दस्तावेज या रेकर्ड पर ऐसा नहीं था कि बेचाणकर्ता अनुसूचित जाति के व्यक्ति थें, परन्तु न्यायालय ने इस संबंध में न तो कोई साक्ष्य, न ही कोई दस्तावेजी सबूत लिये व बिना रेकर्ड व सबूत के यह कहकर की दावा पोषणीय नहीं होकर खारिज किया है, सर्वथा विधिविरूद्ध है। उपरोक्त मुकदमें में अधिनस्थ न्यायालय में बाबुलाल रेस्पोंडेण्ट की तामिल हुई थीं व किशनलाल की तामिल हुई थीं, जिसके वकील श्री राजेन्द्र सिंह आसिया व श्री गोरादान द्वारा उपस्थिति दी गई थीं, जिसके संबंध में भी न्यायालय में कोई इन्द्राजात नहीं हैं, सिर्फ वकालतनामा पत्रावली पर है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय ने अन्य रेस्पोंडेण्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की हैं कि उनकी तामिल हुई या नहीं या उनकी तामिल बन्द की या उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने स्वयं रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के जवाबदावा के बाद तनकीयात नियत की थीं, तो न्यायालय को तनकीवार निर्णय करना आवश्यक था। कानून में प्रावधान है कि न्यायालय फैसला करेगी तो तनकीवार करेगी। परन्तु न्यायालय में दावा में जो तनकी बनायी है उसके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की हैं। रेस्पोंडेण्ट अनुसूचित जाति के थें या नहीं , जिसके संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। न ही कोई दस्तावेज रेकर्ड पर है, न ही साक्ष्य सबूत लिये गये हैं। इसलिए फैसला व डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 29.10.1976 द्वारा क्रयशुदा होने लेकिन विक्रय–विलेख का नामांतरण नहीं किए जाने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2015 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादी द्वारा क्रय की गई भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की थीं तथा खरीददार गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। इस प्रकार उक्त विक्रय–विलेख से किया गया हस्तांतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से प्रतिबंधित होने से वादपत्र पोषणीय नहीं हैं। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 11.12.2015 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प में पत्रावली नियत कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 26.10.2015 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त होने से अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा विलंब अपीलांट की लापरवाही व उदासीनता के कारण कारित नहीं हुआ है तथा प्रकरण का निस्तारण कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकनानुसार वादग्रस्त आराजीयात के खातेदारान माला पुत्र वाला, भूरा पुत्र गोमा, जोधा पुत्र पीरू, गिदा पुत्र तुलछा एवं हजारी पुत्र उमा जाति गुवारिया निवासीगण खोखरा द्वारा क्रेता मांगीलाल पुत्र धीराजी जाति माली निवासी सोजतसिटी के पक्ष में दिनांक 29.10.1976 को पंजीकृत विक्रय–विलेख से हस्तांतरित की गई। जो पत्रावली पर उपलब्ध विक्रय–विलेख से स्पष्ट है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.09.1976 को प्रकाशित गजट अधिसूचना के अनुसार दिनांक 27.07.1977 से प्रभावशील राजस्थान राज्य के लिए अनुसूचित जातियों की सूची के क्रम संख्या 28 पर गवारिया अंकित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान राज्य में गवारिया जाति दिनांक 27.07.1977 से अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है। अर्थात दिनांक 27.07.1977 से पूर्व गवारिया जाति राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल नहीं थीं, तथा उक्त दिनांक के पूर्व तक गवारिया जाति के व्यक्तियों/खातेदारों द्वारा गैर अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों सहित किसी भी वर्ग के व्यक्तियों/संस्थाओं को कृषि भूमि का किया गया बेचान/अंतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 से बाधित व प्रतिबंधित नहीं था।
5. पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में तहसीलदार सोजत द्वारा मृतक तुलछा के कायम मुकाम वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 01/2010 अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत जिला पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2015 के अनुसार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अपीलांट एवं केसाराम पुत्र टीकम व मोहनलाल पुत्र टीकम तथा मिसरीदेवी पत्नि गोराराम समस्त जातियान माली की हद तक इस आधार पर खारिज किया गया कि गजट नोटिफिकेशन प्रभाव में आने से पूर्व ही बेचान हो चुका था।
6. प्रकरण में रेस्पोंडेंट द्वारा कोई उज्र या काउण्टर अपील आदि प्रस्तुत नहीं की गई हैं।
7. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में संगत विधिक प्रावधानों, एवं उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजात का अवलोकन किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जो कानूनन समर्थन योग्य नहीं हैं।
8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना तथा चूंकि प्रकरण पंजीकृत विक्रय–विलेख का नामांतरण नहीं करने से संबंधित है। अतः यदि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 29.10.1976 के संबंध में अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन या निषेधाज्ञा आदि प्रभावशील नहीं हों तो संबंधित तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अपीलांट क्रेता के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 29.10.1976 का परीक्षण कर नियमानुसार नामांतरण कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होने बाबत स्पष्टीकरण प्रदत्त करना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक रूप से साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 147/2008 बअनवान मांगीलाल बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.06.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। यदि वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 29.10.1976 के संबंध में अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन या निषेधाज्ञा आदि प्रभावशील नहीं हों तो संबंधित तहसीलदार वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में अपीलांट क्रेता के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 29.10.1976 का परीक्षण कर नियमानुसार नामांतरण कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **17.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner